उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0/Ref.No. 413/OA No. 544/2024/Gagan mt/2024-25 दिनांक/Date 27-07-2024

By E-mail

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: **Regarding Submission of Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 15.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 544 of 2024 In the matter of Deepak Rai Versus State of UP.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 15.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 544 of 2024 In the matter of Deepak Rai Versus State of UP. The Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures:As above

Sincerely Yours,
27/07/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Regional Officer

NGT cover letter

BEFORE

THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO- 544/ 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Rai Applicant

Versus

State of UP Respondent

Order Date- 15.05.2024

Next Listing- 01.08.2024

Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 15.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 544 of 2024 In the matter of Deepak Rai Versus State of UP.

That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 15.05.2024 in Original Application No. 544 of 2024 in the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

"........ 5. Issue notice to the respondents for filing their response at least before the next date of hearing.........."

Response-

1. That in compliance to the order dated 05.01.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 800 of 2023, an Action Taken Report has been submitted by the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi vide letter no.43/NGT OA No. 800/2023/2024-25 dated-06.04.2024 before this Hon'ble Tribunal. The copy of the Action Taken Report dated 06.04.2024 is being annexed herewith as **Annexure No-1** to this response.
2. That in the above Original Application No. 800 of 2023, the grievance raised by the applicant is that the Project Proponent i.e. respondent no. 5 namely M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, Uttar Pradesh is running without having consent to establish and consent to operate from the State PCB in violation of the various orders of the court.
3. That the Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred as UPPCB) vide letter dated 10.01.2024 has issued closure order under Section 31A of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 with the directions to the respective District Magistrate and District Head of the Police for the implementation of closure order against the brick kiln in question for operation of brick kiln without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

The copy of the closure order dated 10.01.2024 is being annexed herewith as **<u>Annexure No-2</u>** to this response.

4. That in pursuance to the closure order dated 10.01.2024, The District Magistrate, Jaunpur vide office order dated 18.01.2024 has constituted the five member committee for the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question. The copy of the office order dated 18.01.2024 is being annexed herewith as **<u>Annexure No-3</u>** to this response.
5. That in pursuance to District Magistrate, Jaunpur order dated 18.01.2024, the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question was complied by the officials of the above stated committee on 07.03.2024. A copy of the compliance report dated 07.03.2024 along with photographs is being annexed herewith as **<u>Annexure No-4</u>** to this response.
6. That further in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 15.05.2024, the officials of the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control, Varanasi has inspected the site of the brick kiln in question i.e. M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka), Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur on 15.07.2024 and in said inspection the brick kiln was found closed. A copy of the Inspection report dated 23.07.2024 along with photograph is being attached as **<u>Annexure No-5</u>** to this response.

7. That it is submitted that UPPCB has also requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated-21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Copy of the letter dated 21.05.2024 is attached herewith and marked as **Annexure No-6** to this response.

Conclusion:

The brick kiln namely M/s Gagan Int Udyog (R.S. Marka), Village-Devkali, Tehsil-Kerakat, District-Jaunpur has not obtained valid 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. UPPCB had issued closure order against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-10.01.2024. For ensuring the compliance of closure order, the Joint Committee constituted by District Administration, Jaunpur vide Letter dated 18.01.2024 had stopped the operation of brick kiln on dated 07.03.2024. Further, UPPCB has also requested to S.H.O. (Police), Keraket, Jaunpur vide letter dated-21.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Presently, The operation of brick kiln was found closed during site visit on dated 15.07.2024 by UPPCB official.

The above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

27/07/2024

(UK Gupta)
Regional Officer,
UP Pollution Control Board,
Varanasi.

Annexure No-11

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 43/NGT OA No. 800/2023/2024-25 दिनांक / Date 06/04/2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: **Regarding Submission of Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 800 of 2023 In the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble National Green Trubunal, New Delhi in Original Application No 800 of 2023 in the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others. The Action Taken Report on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures:As above

06/4/24
(Dr. S.C. Shukla)
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

06/4/24
Regional Officer

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H09091 /वृ.–6/मा0–839/O.A. No.800/2023/2024 Dated 05-4-24

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
ई–मेल द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.800/2023 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.800/2023 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित दिनांक 05.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड की ओर से दाखिल किये जाने वाली *Action Taken Report* को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि मा0 अधिकरण में उक्त आख्या दाखिल करते हुए बोर्ड को सूचित करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,

05/4/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 41/NGT OA No. 800/2023/2024-25 दिनांक / Date 06/04/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **O.A. No. 800/2023** दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन में एक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल करने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या एच 09091/सी–6/सा0–839/O.A. No. 800/2023/2024, दिनांक 05.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बंध में आप द्वारा अपने पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये अनुमोदित एक्शन टेकेन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि हस्ताक्षरित एक्शन टेकेन रिपोर्ट अपने स्तर से मा0 अधिकरण में दाखिल करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

06/4/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी
4 o/c

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

06/4/24
क्षेत्रीय अधिकारी
4 o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951, फैक्स : 0542–2275951
मुख्यालयः टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764

Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 05.01.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 800 of 2023 In the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others.

That the Hon'ble N.G.T, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 05.01.2024 in Original Application No. 800 of 2023 in the matter of Deepak Rai Versus State of Uttar Pradesh & Others has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

"........ 4. We are of the view that once the communication has been sent by the RO then Member Secretary, UPPCB is duly required to consider the said communication and take appropriate action in accordance with law.

5. Hence, at this stage no interference in this OA is required. The original application is disposed of expecting that the Member Secretary, UPPCB will take expeditious action in accordance with law on the communication dated 25.10.2023.. ...."

Action Taken Report

1. That in this original application the grievance raised by the applicant is that the Project Proponent i.e. respondent no. 5 namely M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, Uttar Pradesh is running

without consent to establish and consent to operate from the State PCB in violation of the various orders of the court.

2. That Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereafter referred as UPPCB) vide letter dated 22.11.2023 has issued show cause notice for closure under section 31A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the brick kiln i.e. M/s Gagan Ent Udhyog (R.S. Marka), Village Devkali, Tehsil Kerakat, District Jaunpur, Uttar Pradesh in question for operation of brick kiln without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the Show Cause Notices dated 22.11.2023 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this report.
3. That further in pursuance to a show cause notice dated 22.11.2023, UPPCB vide letter dated 10.01.2024 has issued closure order under Section 31A of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 with the directions to the respective District Magistrate and District Head of the Police for the implementation of closure order against the brick kiln in question for operation of brick kiln without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

The copy of the closure order dated 10.01.2024 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this report.

4. That in pursuance to a closure order dated 10.01.2024, The District Magistrate, Jaunpur vide office order dated 18.01.2024 has constituted the five member committee for the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question. The copy of the office order dated 18.01.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this report.
5. That in pursuance to District Magistrate, Jaunpur order dated 18.01.2024, the compliance of the closure order dated 10.01.2024 against the brick kiln in question was done by the officials of the above committee on 07.03.2024. A copy of the compliance report dated 07.03.2024 along with photographs is being annexed herewith as **Annexure-4** to this report.

The above action taken report on behalf of the UPPCB is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

06/4/24
(Dr SC Shukla)
Regional Oficer,
UP Pollution Control Board,
Varanasi.

Annexure-2

24-1-24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H0 5485/सी-6/ईंट भट्ठा-005/बंदी आदेश/वाराणसी/2023 Dated 16-1-24

सेवा में, पंजीकृत

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का),
ग्राम-देवकली,
तहसील-केराकत,
जनपद-जौनपुर।

यह कि मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी तथा कोयले का प्रयोग कर 20,000 ईंट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, ईंट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को किया गया। उक्त ईंट भट्ठा ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर में वर्ष 2023-2024 में स्थापित है। निरीक्षण के समय श्री अजीत विक्रम सिंह, ईंट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा में उत्पादनरत् नही पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार स्थापित ईंट भट्ठे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली के 04 से 05 मकान तथा लगभग 275 मीटर की दूरी संतोषी माँ कन्या विद्यापीठ विद्यालय व लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की मुख्य आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा में ईंट भट्ठे से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-मीरपुर की 8-10 घर की आबादी स्थित है। उत्तर दिशा में ईंट भट्ठे से लगभग 115 मीटर की दूरी पर ग्राम-देवकली की 7-8 घर की आबादी तथा 500 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईंट भट्ठा व सैदपुर-खजुरहट सम्पर्क मार्ग स्थित है। दक्षिण दिशा में ईंट भट्ठे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-बद्दूपुर की मुख्य आबादी व लगभग 450 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बद्दूपुरा स्थित है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 225 मीटर की दूरी पर मेसर्स राज ईंट उद्योग (गंगा मार्का) स्थित है। उत्तर-पूरब दिशा में ईंट भट्ठे से लगभग 350 मीटर की दूरी पर देवकली बाजार व लगभग 450 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय, देवकली स्थित है। उक्त ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है।

यह कि ईंट भट्ठे में लगभग 3.0 टन कोयला प्रतिदिन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईंट भट्ठे में फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊंची फिक्स चिमनी स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठे को स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नही है।

उक्त परिस्थितियों में ईंट भट्ठे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

24/1/24

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के विरूद्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर, के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईंट भट्ठे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. पुलिस अधिक्षक, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर।
4. जिला खनन अधिकारी, जौनपुर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईंट भट्ठे को जारी बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

Annexure-3

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर

पत्रांक : 2054/गगन ईंट उद्योग/399/2023-24 दिनांक : 18-01-2024

आदेश

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 05485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/बन्दी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर0एस0गागा), ग्राम–चेयक्ली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की टीम गठित की जाती है :–

1. उपजिलाधिकारी, जौनपुर।
2. थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जौनपुर।
4. जिला खान अधिकारी, जौनपुर।
5. श्री सी0पी0 वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

उक्त संयुक्त टीम के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि तीन दिन के अन्दर उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर

पत्रांक एवं दिनांक :उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–

1. पुलिस अधीक्षक, जनपद–जौनपुर को इस आशय के साथ कि थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर को अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।
2. सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
जौनपुर

Annexure-4

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 5485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं तत्सम्बन्ध में बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद–जौनपुर के पत्र संख्या–2084/गगन ईंट उद्योग/399/ 2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–एच 5485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या–2084/गगन ईंट उद्योग/399/ 2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी। संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07/03/24 को उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि की उपस्थित में कराया गया तथा बन्दी आदेश की प्रति भी प्राप्त करायी गयी। बन्दी के दौरान उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतयाः अनुपालन किया जाये।

क्र०सं०	नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	मूसाराम थाक तहसीलदार, केराकत जौनपुर	
2.	सुरेन्द्र सिंह जिला खान निरीक्षक जौनपुर	7/3/24 M.I.
3.	सी० पी० वर्मा क्षे० अधि० उ०प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	07/03/24
4.	रमाकान्त मिश्र उपनिरीक्षक थाना केराकत जौनपुर	7/3/24
5.	रणजीत कुमार अभि० सहा० उ० प्र० प्रदूषण नि० बो० वाराणसी	07/3/24

उक्त ईंट भट्ठे को थाना केराकत जौनपुर को बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु सुपुर्द किया जाता है।

7-3-2024

(अजय सिंह)
ईंट भट्ठा प्रतिनिधि

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 5485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं तत्सम्बन्ध में बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद–जौनपुर के पत्र संख्या–2084/गगन ईंट उद्योग/399/ 2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या।

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–एच 5485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/वंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या–2084/गगन ईट उद्योग/399/ 2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा संयुक्त समिति गठित की गयी। संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07/03/24 को उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर० एस० मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि की उपस्थित में कराया गया तथा बन्दी आदेश की प्रति भी प्राप्त करायी गयी। बन्दी के दौरान उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतयाः अनुपालन किया जाये।

क्र0सं0	नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	मुन्नाराम थारू तहसीलदार, केराकत जौनपुर	
2.	सुरेन्द्र सिंह जिला खान निरीक्षक जौनपुर	7/3/24
3.	बी० पी० वर्मा क्षे० अधि० उ०प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड वाराणसी	07/03/24
4.	रमाकान्त सिंह उपनिरीक्षक थाना केराकत जौनपुर	7/3/24
5.	रणजीत कुमार अवर अभि० उ०प्र० प्रदूषण नि० बो० वाराणसी	7/3/24

उक्त ईंट भट्ठे को थाना केराकत जौनपुर को बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु सुपुर्द किया जाता है।

7.3.2024

7.3.24

(अजीत सिंह)
[illegible]

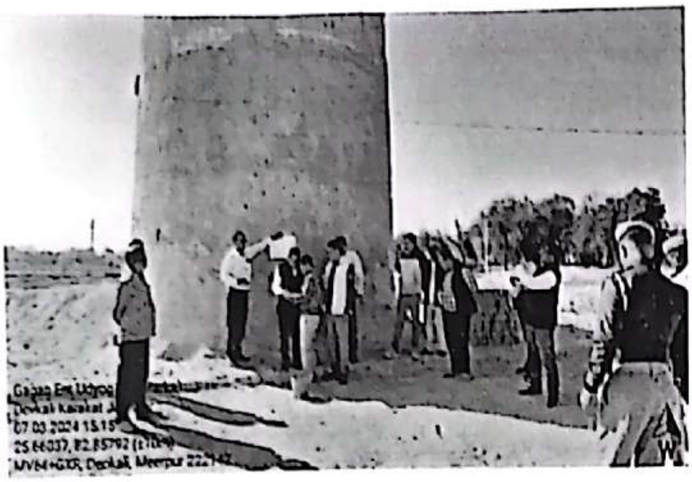

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर0एस0मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 10.01.2024 द्वारा जारी बन्दी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, जौनपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त टीम द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन किये जाने के समय लिए गये फोटोग्राफ्स।

Annexure No.-5

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर0एस0 मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर0 एस0 मार्का), ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर का निरीक्षण दिनांक 15.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है। निरीक्षण के समय श्री चुन्ना लाल सरोज पुत्र स्व0 भग्गल राम, मुंशी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर में स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे का पूर्व में दिनांक 22.10.2023 एवं दिनांक 28.12.2023 को निरीक्षण किया गया था। उक्त तिथियों को निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया था। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।
2. ईट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग करके लगभग 20,000 ईंट प्रतिदिन के दर से उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्ठे में ईधन के रूप में लगभग 3.0 टन प्रतिदिन दर से कोयला का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है।
4. ईट भट्ठे की चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु सैम्पलिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं है।
5. ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में कच्चे माल की मिक्सिंग हेतु किया जाता है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे को स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत नहीं है।
7. ईट भट्ठे के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच.5485/सी–6/ईट भट्ठा–685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवाराण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था। तत्क्रम में जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन दिनांक 07.03.2024 को कराकर थानाध्यक्ष, केराकत, जनपद–जौनपुर को सुपूर्द किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.05.2024 द्वारा ईट भट्ठे के बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित् करने हेतु थानाध्यक्ष, केराकत, जौनपुर को पत्र प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
8. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 544/2024 (दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में दिनांक 15.05.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 का प्रमुख अंश निम्नवत है :–

   "1. In this Original Application the grievance of the applicant is that respondent no. 5 M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil–Kerakat, District-Jaunpur, Uttar Pradesh is operating without adhering to the siting guideline and without obtaining CTE and CTO.

   2. Learned Counsel for the applicant has submitted that Applicant had earlier filed O.A. No. 800/2023 raising this grievance and the said O.A. was disposed of vide order dated 05.01.2024 with a direction to Member Secretary, UPPCB to take expeditious action on the communications sent by the R.O. to the Member Secretary on 25.10.2023.

   3. Learned Counsel submits that in spite of the directions of the Tribunal no effective action has been taken by the authorities and the brick kiln is still operating violating the norms.

   4. This O.A. raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms............"
9. निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच.5485/सी–6/ईट भट्ठा–685/बंदी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवाराण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठा का संचालन बन्द पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

23.7.24 — (राज नाथ चौधरी) वैज्ञानिक सहायक

23.07.24 — (सी0 पी0 वर्मा) वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

23.07.2024

Scanned with CamScanner

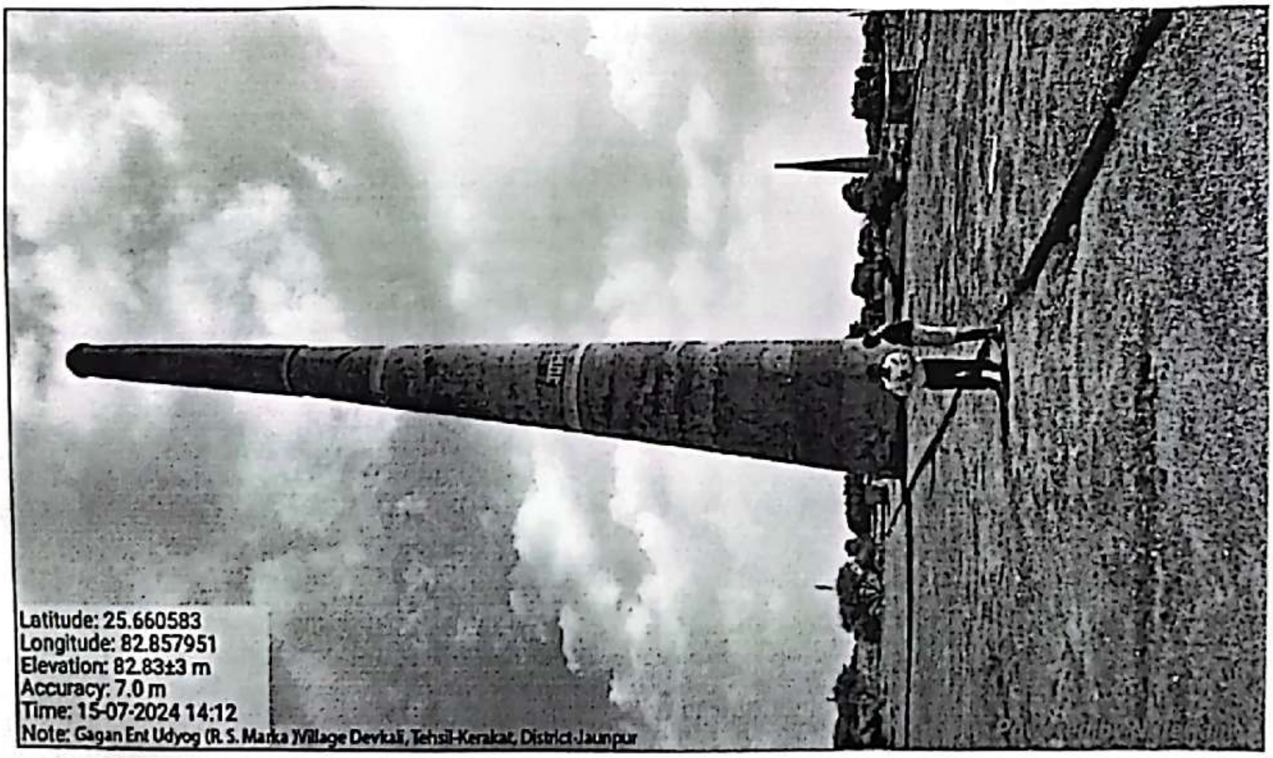

मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर०एस० मार्का), ग्राम-देवकली, तहसील-केराकत, जनपद-जौनपुर

Scanned with CamScanner

Annexure No.- 6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0/Ref.No. 190/गगन ईंट भट्ठा/399/2024-25 दिनांक/Date. 21-05-24

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
रजिस्टर्ड डाक द्वारा
अनुस्मारक

सेवा में,

थानाध्यक्ष–केराकत,
जौनपुर।

विषयः– मेसर्स गगन ईंट उद्योग (आर0एस0 मार्का) ग्राम–देवकली, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश दिनांक 10.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 106/गगन ईट उद्योग/399/2024–25, दिनांक 25.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 5485/सी–6/ईंट भट्ठा–685/बन्दी आदेश/वाराणसी/2023, दिनांक 10.01.2024 द्वारा राज्य बोर्ड से ईंट भट्ठा के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 10.01.2024 का अनुपालन जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर के कार्यालय आदेश पत्रांक 2084/गगन ईंट उद्योग/399/2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.03.2024 को कराया गया था। गठित समिति में आप सदस्य के रूप में नामित किये गये थे तथा श्री रमाकांत सिंह, उप निरीक्षक, थाना–केराकत, थाना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। संयुक्त समिति द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन कराकर ईंट भट्ठे को इस आशय के साथ आपको सुपुर्द किया गया था कि अग्रेतर ईंट भट्ठे का संचालन न हों (छायाप्रति संलग्न)। प्रश्नगत ईंट भट्ठा के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 800/2023 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन में कराया गया था तथा अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 43/एन0जी0टी0 ओ0 ए0 नं0 800/2023/2024–25, दिनांक 06.04.2024 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 544/2024 दीपक राय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 15.05.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के प्रमुख अंश निम्नवत् हैः–

" 1. In this Original Application the grievance of the applicant is that respondent no. 5 M/s Gagan Brick Industry, at Village Devkali, Tehsil – Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh is operating without adhering to the siting guideline and without obtaining CTE and CTO.
2. Learned Counsel for the applicant has submitted that Applicant had earlier filed O.A. No. 800/2023 raising this grievance and the said O.A. was disposed of vide order dated 05.01.2024 with a direction to Member Secretary, UPPCB to take expeditious action on the communications sent by the R.O. to the Member Secretary on 25.10.2023.
3. Learned Counsel submits that in spite of the directions of the Tribunal no effective action has been taken by the authorities and the brick kiln is still operating violating the norms.
4. This O.A. raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. ...."

कृपया अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश से आच्छादित है। अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 की प्रति संलग्नकर इस आशय के साथ प्रेषित कि संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.03.2024 को प्रश्नगत ईट भट्ठे के संचालन को बन्द कराये जाने की स्थिति का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी 21/5/24

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से थानाध्यक्ष–केराकत को निर्देशित करने की कृपा करें कि उक्त ईंट भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. उप जिलाधिकारी, केराकत, जौनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. श्री सी0पी0 वर्मा, वैज्ञानिक सहायक एवं श्री रणजीत कुमार, अनुश्रवण सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

क्षेत्रीय अधिकारी 21/5/24